



UPSI180026692024

न्यायालय सिविल जज (जू०डि०) महमूदाबाद, सीतापुर।

दीवानी वाद सं०-293/2024

रफीकुन्नisha	बनाम	असलम खां आदि।
वाद की प्रकृति	निरस्तीकरण	वसीयतनामा,
वाद का मूल्यांकन	2263.25 रुपये	
अधिवक्ता का नाम	श्री कृष्ण मुरारी गुप्ता	
वाद प्रस्तुत किये जाने की तिथि	23.08.2024	

यह वाद-पत्र वादिनी द्वारा निरस्तीकरण वसीयतनामा उसके विद्वान अधिवक्ता श्री कृष्ण मुरारी गुप्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया। मुन्सरिम आख्यानानुसार वाद न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत है, तदनुसार न्याय शुल्क अदा है। अतः वाद मूल वाद के रूप में दर्ज किया जाए। प्रतिवादी को नोटिस जारी हो। पत्रावली वास्ते लिखित उत्तर/विरचन वादबिन्दु दिनांक 25.09.2024 को पेश हो।

(रंजीत कुमार जायसवाल)
सिविल जज (जू०डि०) महमूदाबाद,
सीतापुर।
J.O Code-UP3555

vijay/-